



नहीं की।

मरावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्डों  
पेशशुदा पजीनामा का अवलोकन किया गया  
जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत की  
भावना से वादी का वाद स्वीकार किया जाने  
योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता  
है तथा घोषणा की जाती है कि:-

उद्देश



तन ग्राम नौगापुरा पटवार हल्ला नीमडंग तहसील  
खण्डेला जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि  
ख. नं. 93 लगायत 103 एकांका 6-79 हे. में वादी  
व प्रतिवादी से. 1 व 14 के पिता-दादा-ससुर मृतक  
हजबस प्रता नौला के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के  
द्वारा पर वादी छोटाणम प्रता हजबस को  $\frac{3}{16}$   
हिस्सा का तथा प्रतिवादी से. 11 व 13 को  $\frac{1}{16}$   
हिस्सा का आवंटन कार्रवाई घोषित किया  
जाकर उक्त 1/4 हिस्सा से मृतक हजबस प्रता  
नौला का नाम हजफ किया जाता है। उपरोक्त  
सार राजस्व रेकार्ड में अमल दण्ड है। तथा  
तदनुसार फर्चा डिकी जाती है। पत्रावली केवल  
रूप में ही नमूदा से लग है तथा वाद लम्बील  
दाखिल दफ्तर है। नियम प्रमाण आम (खनाम)

19/6/18  
बनोय शाय  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत ..... न्यायालय कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम ..... खण्डेला .....

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

..... घोड़ाम \* बनाम ① जगन्नाथ \* .....

दावा बाबत ईस्तकाल हल एवं ल्याग्री विवेचना

मुकदमा नम्बर :- 72/2018

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ..... श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी .....

..... मिनजानिब मुददई रुबरु ..... श्री रामेश्वर लाल तैतवाल .....

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम नोखापुरा पटवार हल्ला नमिशरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 93 लगभग 103 एकड़ 6.79 हे. में जमी

व जतिवारी सं. 1 ता. 14 के पिता-दादा-सुर सतल हल्लस पुत्र तोला

के नाम इज 1/4 हिस्सा के ल्याग पर ल्याग्री घोड़ाम पुत्र हल्लस के 3/16

हिस्सा का ल्याग जतिवारी सं. 11 व 13 को 1/16 हिस्सा का जतिवारी कायतमा

घोषित किया जाऊ उक्त 1/4 हिस्सा से सतल हल्लस पुत्र तोला का

नाम हजफ किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल साम्य हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

※ पुत्र हक्कस जात्रि जाट निवासी फतेहपुरा टाल आकाद  
तन ग्राम नोंगापुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

— वादी

वनाम

※ पुत्र हक्कस

- ① सुन्दरी देवी ② ग्यासी देवी ③ मोहनी देवी पुत्रीगण हक्कस
- ④ विमला देवी ⑤ कमला देवी पुत्रीयां जालूराम
- ⑥ ऋषणी देवी पत्नी जालूराम
- ⑦ सजना देवी पुत्री हनुमान
- ⑧ जमाती देवी पत्नी हनुमान
- ⑨ दुर्गाशिलाय पुत्र जालूराम
- ⑩ भोमाताम ⑪ कैलाश चन्द्र ⑫ बहादुरसिंह
- ⑬ वंशीधर पुत्रीगण हनुमान

जात्रि जाट निवासी फतेहपुरा तहसील खण्डेला जिला  
सीकर (राज०)

- ⑭ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज०)

— उतिषादीगण



—  
जागीरधर शास्त्री  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला